वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
Annual Administrative Report
2016

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय

गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय

नेहरू नगर, जयपुर-302016

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अवस्थिति

राज्य विधि विज्ञान मुख्यालय

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला

जिला मोबाइल फोरेंसिक यूनिट

N

(Not to scale)

डी.एन.ए. भवन, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा

लक्ष्य

अत्याधुनिक तीव्रतर वैज्ञानिक तकनीकों से अपराध के अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध करवाकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना।

भावी दृष्टि

अपराधी के तेजी से बढ़ते हुए संसाधन, कौशल, चातुर्य एवं निपुणता को दृष्टिगत रखते हुए अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरन्तर तकनीकी सुदृढ़ीकरण किया जाना है, जिससे अपराधी की शीघ्रातिशीघ्र पहचान सुनिश्चित की जा सके। भौतिक साक्ष्य के फोरेंसिक महत्त्व से पुलिस, अभियोजन व न्यायपालिका को अभिज्ञानित कराना ताकि अपराध उन्मूलन में प्रभावी योगदान देते हुए अपराध सिद्धि की दर में न्यायसंगत वृद्धि हो सके।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	प्राक्कथन	2
2	वैधानिक स्थिति, कार्य प्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य	3–4
3	प्रकरणों का निष्पादन	4
4	तकनीकी सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास	4–11
5	राज्य विधि विज्ञान निदेशालय: अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका	11
6	संगठनात्मक चार्ट	12
7	संगठनात्मक स्वरूप	13–14
8	नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि	14
9	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: चरणबद्ध विकास	15
10	प्रकरण सांख्यिकी	16–18
11	वर्ष 2016 में स्थापित उपकरणों की सूची	18
12	एफ.एस.एल. में परीक्षण किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण	19–21
13	घटना स्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण	21–24
14	राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स का पता व दूरभाष	25–27
15	वर्ष 2016 की उपलब्धियाँ– संक्षिप्त सार	28
16	भविष्य की योजना	28

प्राक्कथन

वर्ष 2016 में 38,578 आपराधिक प्रकरणों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाकर फोरेंसिक रिपोर्ट पुलिस व न्यायालयों को उपलब्ध कराई गई। यह निस्तारण अब तक के एफ.एस.एल. इतिहास में सर्वाधिक है।

वर्तमान निदेशक द्वारा दिनांक 04.01.2016 को कार्यभार ग्रहण करने के तत्पश्चात राज्य सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप तथा न्यायालयों में फोरेंसिक रिपोर्ट के अभाव में निर्णयों में हो रहे विलम्ब की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये, वर्षों से लम्बित प्रकरण, जो वर्ष 2015 तक प्राप्त हुये थे, के निस्तारण के लिये विशेष अभियान चलाया गया। मुझे प्रसन्नता है कि समस्त वैज्ञानिकों के सहयोग से न केवल पुराने प्रकरणों का रिकार्ड निष्पादन किया गया बल्कि लम्बित प्रकरणों की संख्या में भी अभूतपूर्व कमी लायी गयी है।

वर्ष 2016 में एफ.एस.एल. में प्राप्त होने वाले प्रकरणों में भी वृद्धि हुई है व कुल 34,340 प्रकरण फोरेंसिक साक्ष्य हेतु प्राप्त हुये हैं जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 31,346 थी। अपराध अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों के उपयोग की बढ़ती जागरूकता का यह एक शुभ संकेत है।

राजस्थान के सर्वत्र दूर दराज क्षेत्रों में अविलम्ब घटना–स्थल पर आधुनिक वैज्ञानिक सेवायें प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालयों पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स को पुन: व्यवस्थित व सुदृढ़ किया जा रहा है। पुराने हो चुके अप्रचलित उपकरणों को नवीनतम तकनीक से बदला जा रहा है।

अपराधों में विश्वसनीय गवाही मिलना कठिन होता जा रहा है, अत: ठोस फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिये, एफ.एस.एल. के वैज्ञानिकों का नई तकनीकी में कौशल विकास अपेक्षित है। इस हेतु फोरेंसिक ट्रेंनिग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। इस इंस्टीट्यूट में पुलिस, अभियोजन, फोरेंसिक मेडिसन एवं न्यायिक अधिकारियों को भी जागरूकता पाठ्यक्रमों, सेमिनार एवं वर्कशॉप के माध्यम से आधुनिक फोरेंसिक तकनीक व उपयोगिता से अभिज्ञानित किये जाने की कार्य योजना बनाई गई है।

जयपुर स्थित मुख्य प्रयोगशाला में 'पॉलीग्राफ सेंटर' की स्थापना की गई है। इससे सभ्य विधियों से निर्दोष संदिग्धों को राहत देने, चतुर अपराधियों से सच उगलवाने व झूठे मुकदमें दर्ज कराने वालों का पर्दाफाश करने में सहायता मिलेगी।

चौतरफा प्रौद्योगिकी के अनूठे विकास व तकनीकी अभिसरण (technology convergence) के फलस्वरूप कम्प्यूटर व इन्टरनेट आधारित नित्य नये आपराधिक कृत्य उभर रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिये एक 'ऐडवांस्ड सेंटर फॉर साईबर फोरेंसिक्स' स्थापित करने की कार्य योजना बनाई गई है।

दुष्कर्म, हत्या व अन्य हिसंक अपराधों का तीव्रतर व प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिये विभिन्न क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के विकास को भी गति दी गई है। बीकानेर एवं अजमेर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नये विशिष्ट डिजाइन के भवनों का निर्माण प्रगति पर है। फोरेंसिक कार्य में तत्परता लाने के लिए, इसी प्रकार भरतपुर में भी क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिये भवन के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में यह प्रयोगशालायें किराये/राजकीय/ राजकीय आवासीय भवनों में कार्यरत हैं, किन्तु यह भवन न तो आधुनिक उपकरणों की स्थापना के लिये पर्याप्त है और न ही उपयुक्त हैं।

डी.एन.ए., साईबर फोरेंसिक्स तथा फोरेंसिक पोलीग्राफ के सेवा नियमों के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है, इन प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् इन विशिष्ट क्षेत्रों में भी उपयुक्त वैज्ञानिकों की भर्ती की जा सकेगी।

विधि विज्ञान निदेशालय, दोषियों की न्यायसंगत सजा दर (conviction rate) बढ़ाये जाने के लिये प्रतिबद्ध है। डी.एन.ए. परीक्षण को सुगम बनाने के लिये निदेशालय के प्रस्तावानुसार राज्य सरकार द्वारा 20.12.2016 से राजस्थान पुलिस के लिये डी.एन.ए. परीक्षण नि:शुल्क कर दिया गया है। यह एक स्वागत योग्य निर्णय है, इससे प्रकरणों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब से निजात पाने, हिंसक अपराधों में डी.एन.ए. की अमूल्य साक्ष्य नष्ट होने से बचाने एवं अपराधी की यथाशीघ्र पहचान सुनिश्चित करने में लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त दुर्ष्कम के प्रकरणों में भी जाँच प्रक्रिया को सुधारा गया है।

सीमित संसाधनों के बावजूद, वर्ष 2016 में विशेष प्रयासों से व अतिरिक्त समय में अथक कार्य निष्पादन कर निर्धारित मापदण्डों से कहीं अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। शेष लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के भी प्रयास जारी है। एफ.एस.एल. के वैज्ञानिक इसके लिये बधाई के पात्र हैं।

डॉ. बी.बी. अरोरा
एम.एससी., पीएच.डी., एसोशिएट एस.आई.एन.पी., एफ.ए.एफ.एससी.
निदेशक, एफ.एस.एल.

वैधानिक स्थिति, कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य

वैधानिक स्थिति

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 : न्यायालय को तकनीकी प्रश्नों पर तथ्यात्मक निष्कर्ष एवं विवरण प्रस्तुत करने हेतु विशेषज्ञ राय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

फोरेंसिक विशेषज्ञ : एफ.एस.एल. में विज्ञान की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित व्यक्ति ही विशेषज्ञ हैं। विशिष्ट योग्यताधारित विशेषज्ञ भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं जो संबंधित जांच एजेन्सी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। राजकीय फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 के अन्तर्गत बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में मान्य है। धारा 293 (4) में किसी केन्द्रीय अथवा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक को राजकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया है।

कार्यप्रणाली

पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिये घटनास्थल व प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा एक 'टीम वर्क' के रूप में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं:-

1- अपराध की वैज्ञानिक साक्ष्यों की पहचान हेतु घटना स्थलों का निरीक्षण।

2- जाँच अधिकारी को भौतिक साक्ष्य के वैज्ञानिक महत्व व इससे प्राप्त होने वाली साक्ष्य बाबत् जागरूक करना।

3- घटनास्थल, आरोपी/संदिग्ध एवं पीड़ित से प्राप्त अपराध प्रादर्शों का वैज्ञानिक परीक्षण।

4- वैज्ञानिक साक्ष्यों को श्रृंखलाबद्ध कर अपराध कारित करने की विधि व उद्देश्य का खुलासा करने में योगदान।

5- विभिन्न न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुतीकरण।

इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों को अपराध अनुसंधान सम्बंधी प्रशिक्षण/व्याख्यान दिये जाते हैं जिससे प्रयोगशाला द्वारा अपराध अनुसंधान में दी जा रही सहायता की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सके।

प्रयोगशाला में प्रादर्शों का परीक्षण एवं विश्लेषण कार्य विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अनुभागों में उनके लिए ''डायरेक्ट्रेट ऑफ फोरेंसिक साईन्स सर्विसेज, गृह मंत्रालय, भारत सरकार'' द्वारा निर्धारित मेनुअल्स के अनुसार पूर्ण गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग स्तर पर प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक कार्यों का पर्यवेक्षण सहायक निदेशक/उपनिदेशक द्वारा किया जाता है। सहायक निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य सहायक स्टाफ को मिलाकर एक वर्किंग यूनिट का गठन किया जाता है।

एफ.एस.एल. में प्रकरणों के परीक्षण का कार्य सामान्यत: 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व' आधार पर किया जाता है। विशेष परिस्थितियों जैसे न्यायालय में केस की सुनवाई निर्णय की स्टेज पर होने, आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में होने या जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होने, न्यायालय अथवा अनुसंधान की कार्यवाही बिना एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाने अथवा प्रकरण के सामाजिक तौर पर अतिसंवेदनशील होने के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मामलों इत्यादि में प्राथमिकता पर भी परीक्षण किया जाता है। वैज्ञानिक जांच में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि प्रकरण की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र दी जा सके।

प्रशासनिक परिदृश्य

जयपुर मुख्यालय पर स्थित प्रयोगशाला एवं समस्त क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण निदेशक द्वारा किया जाता है। वर्ष 2006 से प्रयोगशाला राज्य सरकार के गृह विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य कर रही है एवं वर्ष 2010 में निदेशक को विभागाध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सामान्य प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त निदेशक/उपनिदेशक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

वर्तमान में जयपुर मुख्यालय पर निदेशालय राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य सभी संभाग मुख्यालयों -जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व भरतपुर पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें तथा राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर

34 जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्य कर रही हैं। जयपुर स्थित शीर्षस्तरीय मुख्य प्रयोगशाला में विधि विज्ञान के 13 क्षेत्रों में, क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालायें उदयपुर व बीकानेर में 5, जोधपुर, कोटा व भरतपुर में 4 व अजमेर में 2 खण्डों में परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 408 पद स्वीकृत है, मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग के 40, वाहन चालक एवं सहायक संवर्ग के 56 पद स्वीकृत है। रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया प्राथमिकता पर जारी है।

प्रकरणों का निष्पादन

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय जयपुर एवं क्षेत्रीय स्तर की जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2016 में सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए 38,578 अपराध प्रकरणों के 2,24,855 प्रादर्शों का विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण किया गया एवं फोरेंसिक रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई गई। वर्तमान में लम्बित प्रकरणों की संख्या 6,602 है जो कि विगत दो दशकों में न्यूनतम है। विभिन्न प्रकार के अपराध प्रकरणों तथा प्रादर्शों से सम्बन्धित जानकारी पृष्ठ संख्या 4–9 पर दी गयी है। केस परीक्षण के यह वार्षिक आंकडे सर्वाधिक है, जबकि इस अवधि में प्रयोगशाला में विभिन्न वैज्ञानिक संवर्गों के लगभग 51% पद रिक्त रहे हैं। वर्ष भर ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक रही जिनमें अपराध के तरीके सामान्य से जटिल थे और सामाजिक तौर पर अधिक संवेदनशील थे। प्रकरणों के परीक्षण के आंकड़े परिशिष्ठ में खण्डानुसार दर्शाये गये हैं।

फोरेंसिक रिपोर्ट्स से जहां एक ओर अपराध अन्वेषण को दिशा देने में सहयोग प्रदान किया गया वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध साबित करने में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में न्यायालयों द्वारा एफ.एस.एल. की 'एक्सपर्ट रिपोर्ट' को भरोसेमंद मानकर महत्त्व देते हुए अपराधियों को सजा सुनाई है।

वर्ष 2016 में कुल 1,158 अपराध घटनास्थलों को निरीक्षण किया गया।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण

राजस्थान के सभी जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में अपराध अनुसंधान में जांच एजेन्सी को अपराध से सम्बंधित पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध करवाने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला का तीन चरणों में निम्नानुसार विकास हुआ है :–

प्रथम चरण

मुख्य प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा नवीनतम तकनीक का निरन्तर समावेश किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने उन्नत वैज्ञानिक सुविधाओं को विकसित किए जाने के फलस्वरूप न केवल तकनीकी श्रेष्ठता अर्जित की है अपितु अपने द्वारा जारी श्रेष्ठ एवं गुणवत्तायुक्त परीक्षण रिपोर्ट के कारण भारत की उच्च कोटि की अग्रणी प्रयोगशालाओं में अपना स्थान बना लिया है। वर्तमान में प्रयोगशाला आतंककारी, हिंसक, तस्करी, आर्थिक अपराध, घूसखोरी, भूमाफिया, जालसाजी, मादक, विस्फोटक, वन्यजीव अपराध, साइबर अपराध, जाली मुद्रा एवं अन्य संगठित अपराधों के प्रादर्शों की जाँच में सक्षम है। प्रयोगशाला में सामान्य अपराधों की जाँच, भौतिक साक्ष्य एवं अन्य विवरण निम्न प्रकार है–

जैविक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति :– बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, आग से जलने, डूबना, मृत्योपरान्त समयान्तराल, अपहरण, चोरी–डकैती के धारा 302, 307, 376, 377, 363, 366, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी से सम्बन्धित व एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, राज. गोवंश संरक्षण एक्ट आदि से सम्बन्धित अपराध आदि।

(2) भौतिक साक्ष्य :– वीर्य के धब्बे युक्त कपड़े, वेजाइनल व यूरेथ्रल स्वाब–स्मीयर, बाल, सिगरेट, बीड़ी, गुटका आदि पर लार, अस्थियाँ, दाँत, कपाल, नाखून, त्वचा, उल्टी, माहवारी रक्त , गर्भपात के समय का रक्तस्राव, भ्रूण, विसरा में डायटम, नारकोटिक पौधे जैसे भाँग–गाँजा,

डोडा पोस्त आदि, नकली सिगरेट, बीड़ी, गुटका के तम्बाकू, नकली चाय, कीटों, वानस्पतिक पदार्थ जैसे पत्तियां, रेशे, लकड़ी, बीज, परागकण आदि, पक्षियों के अंग, जन्तुओं के मांस, बाल, हड्डियां, खुर, सींग, चमड़ा, हाथी दाँत आदि।

(3) उपकरण:- रिसर्च माइक्रोस्कोप, सुपर इम्पोजीशन डिवाइस, स्टिरियो जूम माइक्रोस्कोप, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, माईक्रोटोम, ऑवेन, इन्क्यूबेटर, डीप फ्रीजर आदि।

स्टिरियो जूम माइक्रोस्कोप से गाँजा-भाँग के पौधों का परीक्षण

सीरम खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- रक्त से सम्बन्धित हिसंक अपराध, हत्या, प्रहार, दुष्कर्म, नवजात शिशु की अदला-बदली, संदिग्ध पैतृकता, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, राज. गोवंशीय संरक्षण एक्ट आदि के धारा 302, 307, 376, 377, 201 आईपीसी से सम्बन्धित अपराध इत्यादि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर रक्त समूह की जाँच करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्य:- शारीरिक द्रव जैसे रक्त , वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट-बीड़ी, गुटका पर उपस्थित लार, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, मिट्टी एवं विभिन्न प्रकार के हथियार आदि।

(3) उपकरण :- माइक्रोस्कोप, ऑवेन, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन आदि।

डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिग खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:-हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, नवजात शिशु की अदला-बदली, संदिग्ध पैतृकता, व्यक्ति की सुनिश्चित पहचान, गुमशुदगी, बम विध्वंश, आतंकी एवं आपदा विध्वंशात्मक घटना, मानव तस्करी आदि से सम्बन्धित अपराध इत्यादि।

(2) भौतिक साक्ष्य:- शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट-बीड़ी, गुटका, लिफाफा व च्यूइंगम पर उपस्थित लार, टूथब्रश, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, भ्रूण, सड़े-गले, क्षत-विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से अथवा बम-विध्वंश के उपरांत प्राप्त शव के उत्तक-अंग, मिट्टी आदि।

डीएनए आटोमेटेड एक्सट्रेक्टर पर कार्य करते वैज्ञानिक

जीन सीक्वेंसर से डीएनए परीक्षण करते वैज्ञानिक

(3) उपकरण :- ऑटोमेटेड एक्सप्रेस एक्सट्रेक्टर, पी.सी.आर., जेलडॉक सिस्टम, रियल टाइम पी.सी.आर., जीन सिक्वेंसर, रेफ्रीजरेटेड माइक्रोसेन्ट्रीफ्यूज मशीन, लेमीनर फ्लो आदि।

नारकोटिक्स खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- एनडीपीएस एक्ट, एक्साईज एक्ट एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त नशीले एवं मादक पदार्थों से संबंधित प्रकरण।

(2) भौतिक साक्ष्य:- 1. मादक पदार्थ :- डोडा पोस्त, अफीम तथा उससे निर्मित मादक पदार्थ जैसे स्मैक (ब्राउन शुगर या हेरोइन), चन्डू, मदक आदि। केनाबिस प्लांट प्रोडक्टस :- भाँग, गाँजा, चरस आदि तथा कोकीन। 2. मन:प्रभावी पदार्थ:- मैन्ड्रैक्स, मेथाक्यूलोन, बारबीच्यूरेट्स, बेन्जोडायजेपीन, केटामिन, एल.एस.डी., एम्फीटामिन्स आदि ड्रग्स। 3. प्रतिबंधित रसायन :- जैसे एसीटिक एनहाइड्राइड, एन्थ्रेनेलिक एसिड, क्लोरो एसीटिक एसिड तथा मादक पदार्थों के व्युत्पन्न के निर्माण में प्रयुक्त रसायन।

(3) उपकरण:- एच.पी.एल.सी., एच.पी.टी.एल.सी., यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आदि।

एचपीएलसी उपकरण से नारकोटिक पदार्थ का परीक्षण करते वैज्ञानिक

रसायन खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- अवैध शराब, शराब माफिया, जहरीली शराब त्रासदी, 16/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम, रिश्वत, मिलावट, हत्या, तेजाब से जलाने के, 7, 13, 1 डी (2) भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, धारा 420, 302, 307 आईपीसी से सम्बन्धित प्रकरण, धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) भौतिक साक्ष्य:- देशी व विदेशी शराब, अवैध शराब, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन में मिलावट, तेजाब से जले कपड़े, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, ट्रेप घोल (ए.सी.बी. केसेज) आदि।

(3) उपकरण:-एच.पी.एल.सी., गैस क्रोमेटोग्राफ, आटोमैटिक डिस्टिलेशन उपकरण, फ्लेश पाइंट, पेट्रोल एवं डीजल एनालाइजर उपकरण आदि।

डीजल एवं गैसोलीन एनालाइजर पर डीजल व पैट्रोल पदार्थों के परीक्षण करते वैज्ञानिक

आर्सन एवं एक्सप्लोज़िव खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- आगजनी, धोखाधड़ी, दहेज हत्या व आवश्यक वस्तु 3/7 ई.सी. एक्ट, एक्सप्लोज़िव एक्ट, धारा 302, 307 आईपीसी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) भौतिक साक्ष्य:- ज्वलनशील पैट्रोलियम पदार्थ, विलायक (सॉल्वेन्ट), एक्सप्लोज़िव्स मोबिल ऑयल, दहेज हत्या व आगजनी, विस्फोटक पदार्थ, आई.ई.डी. व विस्फोट जनित अवशेष।

(3) उपकरण:- पेट्रोल एवं डीजल एनालाइजर, एच.पी. एल.सी., गैस क्रोमेटोग्राफ, आटोमैटिक डिस्टिलेशन उपकरण, फ्लेश पाइंट उपकरण आदि।

गैस क्रोमेटोग्राफ पर पैट्रोलियम पदार्थ का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

भौतिक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति :- वाहन चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट-पाट, अपहरण, औद्योगिक एवं वाहन दुर्घटना, हत्या, टक्कर मारकर भागना, सड़क, बाँध, पुल, भवन सामग्री में मिलावट, आगजनी एवं शॉर्ट सर्किट, आरपीजीओ, 420 आईपीसी जालसाजी कापीराईट एक्ट।

(2) भौतिक साक्ष्य :- मोटर कार, काँच, पेंट, मिट्टी, जूते/टायर निशान, औजार चिन्ह, रेशे, कपड़े, रस्सी, रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट से छेड़-छाड़, आग्नेय शस्त्र व वाहनों के इंजन/चेसिस नम्बर, नकली सामान, विद्युत आघात, विद्युत चोरी, अभियांत्रिक मशीन के भाग एवं औजार, भवन एवं औद्योगिक भवन का गिरना, सीमेंट कंकरीट, ईट व अन्य सड़क सामग्री, सरिया, आवाज द्वारा अपराधी की पहचान, फाँसी फंदा, कट मार्क्स, जुआ खेल, आगजनी, कॉपी राईट आदि।

(3) उपकरण :- एफ.टी. रमन, ग्रीम, स्केनिंग इलेक्ट्रोन माईक्रोस्कोप, एक्स.आर.एफ., कम्प्यूटराईज्ड स्पीच लैब (मॉडल-4500) आदि।

स्कैनिंग इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी पर कार्यरत वैज्ञानिक

सीएसएल उपकरण पर आवाज (वाणी) का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

साईबर फोरेन्सिक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति :- इंटरनेट जनित ई-कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई-बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, तस्करों/जासूसों/घुसपैठियों/आतंकियों से सम्बन्धित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित अपराधों/साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमेलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग, टेंपरिंग/डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ-सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग, स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी फूटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण आदि से सम्बंधित अपराध।

मोबाईल फोन फोरेंसिक एक्स आर वाई साफ्टवेयर पर डेटा का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्य :-साईबर/कम्प्यूटर क्राइम से सम्बन्धित समस्त प्रोगामयुक्त इलेक्ट्रॉनिक/मैमोरी स्टोरेजयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईल फोन, टैबलेट, सिमकार्ड, पेनड्राईव, मेमोरीकार्ड, मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन, ए.टी.एम. मशीन, मैग्नेटिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्वैपिंग मशीन, सॉफ्टवेयर इत्यादि।

(3) उपकरण :- कम्प्यूटर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर- एनकेस फोरेंसिक वर्जन 7.09, एफ.टी.के. इंटरनेशनल वर्जन 6.01, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, हाई स्पीड क्लोनर/इमेजिंग डिवाइस। मोबाईल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर-एक्स.आर.वाई. वर्जन 7.2, सेल डेक टेक टूलकिट आदि।

विष खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- हत्या, आत्महत्या, जहरखुरानी, दुर्घटना द्वारा मृत्यु जिसमें विष का संदेह हो, जन्तु विष, सामूहिक आपदा के 302, 328, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी, वन्य जीव एक्ट व राज. गोवंश संरक्षण एक्ट इत्यादि के अपराध।

(2) भौतिक साक्ष्य:- विसरा, पेट की धोवन, उल्टी, रक्त , मूत्र में एल्कोहल, विष व विषजनित पदार्थ, जहरीली शराब, मादक व शामक औषधि, कीटनाशक दवाऐं।

(3) उपकरण:- यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एफ.टी.आई.आर., डी.आई.पी. युक्त गैस क्रोमेटोग्राफ-मास स्पेक्ट्रोमीटर, एच.पी.एल.सी., एच.पी.टी. एल.सी, माईक्रोवेव सोलवेन्ट एक्सट्रेक्टर आदि।

एचपीएलसी उपकरण पर ड्रग परीक्षण करते वैज्ञानिक

जी.सी. मास हेडस्पेस से रक्त-एल्कोहल का परीक्षण करते वैज्ञानिक

प्रलेख खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- भूमाफिया व जालसाजी, धोखाधड़ी, घोटाला, फिरौती, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, कापी-राईट एक्ट, ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट।

(2) भौतिक साक्ष्य :- हस्तलेख, हस्ताक्षर, बैंक चेक, जायदाद खरीद/फरोख्त/हस्तांतरण संबंधी कागजात, टाइप लेख, दस्तावेजों में काट-छांट, गुप्त लेख, रबर सील छाप, स्याही व कागज मिलान, जाली नोट, फोटोकॉपी मिलान, प्रिंटेड लेबल मिलान, वाहनों के रजिस्ट्रेशन व क्रय-विक्रय के पत्रादि, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, स्टाम्प पेपर, क्रेडिट कार्ड इत्यादि।

(3) उपकरण:- स्टीरियो जूम माईक्रोस्कोप, वी.एस.सी. 6000, यू.वी. उपकरण आदि।

आधुनिक वी.एस.सी. 6000 उपकरण से संदिग्ध दस्तावेज की जाँच करते वैज्ञानिक

अस्त्रक्षेप खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- हत्या, हत्या का प्रयास, आत्महत्या, दुर्घटनावश गोली चलना, लूट- डकैती, अपहरण, दहशत फैलाना, डराना-धमकाना आदि।

(2) भौतिक साक्ष्य:- विभिन्न आग्नेयास्त्र व उसके हिस्से, कारतूस, खोखा कारतूस, डॉट, छर्रे, बुलेट, बारूद, परकुशन कैप, टारगेट जहाँ पर छर्रे अथवा बुलेट लगी, देशी तमन्चा, आर्म्स एक्ट के हथियार इत्यादि।

वेलोसिटी मेजरिंग उपकरण से बुलेट की गति मापते वैज्ञानिक

(3) उपकरण:– कम्पेरिजन माईक्रोस्कोप एवं वेलोसिटी मेजरिंग यूनिट आदि।

आर.पी.एस.सी. अध्यक्ष श्री ललित के पँवार को निदेशक एफ.एस.एल. डॉ. बी.बी. अरोरा प्रयोगशाला के वैज्ञानिक कार्यों का अवलोकन करवाते हुए

पॉलीग्राफ (लाई – डिटेक्शन) खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:– धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान।

(2) भौतिक साक्ष्य:– संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता के दिए गये बयान आदि।

नये कम्प्यूटीकृत पोलीग्राफ उपकरणों का मानकीकरण करते वैज्ञानिक व निदेशक एफ.एस.एल.

(3) उपकरण:– कम्प्यूटराईज्ड पोलीग्राफ उपकरण (मॉडल एल.एक्स. 5000) आदि।

फोटो खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:– अपराध प्रदर्शन/घटनास्थल की फोटोग्राफी, विशेष फोटोग्राफी, ट्रिक फोटोग्राफी, फोटो–मिलान, अध्यारोपण आदि।

(2) भौतिक साक्ष्य:– धोखाधड़ी, जमीन– जायदाद/ स्टाम्प पेपर के फोटोग्राफ, पासपोर्ट व अन्य पहचान पत्रों पर फोटोग्राफ का परीक्षण।

न्यायालयिक विज्ञान के सिद्धान्त

1– वैयक्तिता का नियम : प्रत्येक वस्तु प्राकृतिक अथवा कृत्रिम अपने आप में विशिष्ट होती है। वह किसी भी अन्य वस्तु के शतप्रतिशत समान नहीं हो सकती।

2– लोकार्ड का विनियम सिद्धान्त : सम्पर्क में आने पर वस्तुओं एवं चिन्हों का सदैव आदान प्रदान होता है।

3– प्रगतिशील परिवर्तन का नियम : समय व्यतीत होने के साथ हर वस्तु में परिवर्तन होता है।

4– तुलना का सिद्धांत : केवल एक प्रकार की वस्तुओं की ही तुलना की जा सकती है।

5– विश्लेषण का सिद्धांत : परीक्षण हेतु भेजा गया नमूना जितना अच्छा होता है परिणाम उतने ही अच्छे होते है।

6– संभावना का सिद्धांत : निश्चित या अनिश्चित प्रत्येक प्रकार की पहचान सदैव संभावना के आधार पर ही की जाती है।

7– परिस्थितिजन्य तथ्यों का नियम: व्यक्ति झूठ बोल सकता है किन्तु भौतिक साक्ष्य कदा्चित नहीं।

सामान्य प्रकार के अपराधों के अतिरिक्त निम्न अग्रणी, हाईटेक एवं अत्याधुनिक क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक के साथ परीक्षण कार्य किया जाता है :-

1	साईबर फोरेंसिक्स (कम्प्यूटर फोरेंसिक, मोबाईल फोरेंसिक व नेटवर्क फोरेंसिक)	इंटरनेट जनित ई-कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई-बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, तस्करों/जासूसों/घुसपैठियों/आतंकियों से सम्बन्धित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों/साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरूपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग, टेंपरिंग/डिलीशन, फेक डाक्यूमेंट, धोखाखड़ी, जुआ-सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लाण्डरिंग, स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त स्टिंग आपरेशन, विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी फूटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण का परीक्षण कार्य जयपुर स्थित प्रयोगशाला में किया जाता है।
2	वाणी (ऑडियो) परीक्षण	अपहरण, रिश्वत खोरी, होक्स (टेलीफोन) कॉल अथवा धमकी देने के मामलों में आवाज से व्यक्ति विशेष की पहचान के सबूत जुटाने के लिए कम्प्यूटराइज्ड डिजिटल वॉयस एनालाईजर प्रयोग में लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गुप्त डिजिटल रिकॉर्डर से स्टिंग आपरेशन से कूटरचित ऑडियो रिकार्डिंग की सत्यता परखने के लिए उन्नत उपकरण प्रयोग में लिये जाते हैं।
3	वाइल्ड-लाइफ फोरेंसिक	वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए जयपुर एफ.एस.एल. में वन्य जीवों के अंगो व अवशेषों का परीक्षण किया जाता है।
4	फोरेंसिक डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग	बलात्कार, हत्या जैसी हिंसक वारदातों में अपराधी की पहचान, संदिग्ध पैतृकता में पिता की पहचान, कंकाल से मृतक की पहचान, दहेज हत्या, गैंग रेप, विकृत शवों से गुमशुदा व्यक्ति की पहचान के लिए एवं भ्रूण हत्या के मामलों के परीक्षण के लिए जयपुर में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जांच की जाती है।
5	पॉलीग्राफ परीक्षण	धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान की जाती है।

द्वितीय चरण

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उपयोग के क्षेत्र को बढ़ाने के क्रम में संभागीय मुख्यालयों पर परीक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित क्षेत्रीय प्रयोगशालाऐं आधुनिकतम भवनों में कार्य कर रही हैं। बीकानेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, अस्त्रक्षेप, विष, जैविक तथा सीरम खण्ड में कार्य प्रांरभ किया जा चुका है तथा क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अजमेर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में रसायन व विष खण्ड कार्यरत हैं तथा सीरम खण्ड का कार्य प्रारंभ किया जाना है। अजमेर की स्वयं की क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर में जैविक, सीरम, विष एवं भौतिक खण्ड द्वारा परीक्षण कार्य किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में स्वीकृत जैविक खण्ड का कार्य आरम्भ किया जाना है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफ.टी.आर.आई.) के भूतल भवन का निर्माण किया गया है।

तृतीय चरण

साक्ष्य सामग्री के वैज्ञानिक विधियों से शीघ्र से शीघ्र चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण करने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर फोरेंसिक मोबाईल यूनिट्स कार्यरत है, जो घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर जाँच अधिकारी को वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता देती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक यूनिट में तीन वैज्ञानिक, वाहन, उपकरण एवं रसायनों की सुविधा का प्रावधान रखा गया है।

प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान वन सेवा, लोक अभियोजक, चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं विभिन्न राज्यों से आगंतुक अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को न्यायालयिक विज्ञान सम्बंधी व्याख्यान एवं प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इस्टीट्यूट (एफ.टी.आर.आई.) के भवन का निर्माण किया गया है।

देश के प्रतिष्ठित पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, पंजाब में आयोजित 'नेशनल कान्फ्रेन्स ऑन फोरेंसिक साइंस' के शुभारम्भ समारोह में आमंत्रित डॉ. बी.बी. अरोरा द्वारा मुख्य वक्ता के रूप में 'की नोट एड्रेस' किया गया। इससे राजस्थान एफ.एस.एल. की ख्याति बढ़ी है।

प्रयोगशाला के वैज्ञानिक द्वारा देश के विभिन्न संस्थानों व विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिये गये। प्रयोगशाला के अनेक वैज्ञानिकों के शोध पत्र राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हुए। प्रयोगशाला के विभिन्न स्तर के वैज्ञानिकों को देश के उच्च वैज्ञानिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवा कर आधुनिक विधियों से अद्यतन करवाया जाता है।

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका

आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भों के रूप में पुलिस एवं न्यायालय के मध्य राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एक अभिन्न एवं संयोजी कड़ी के रूप में कार्यरत है। बहुवैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित इन प्रयोगशालाओं में प्रामाणिक वैज्ञानिक विधियों एवं अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से अपराध सम्बंधी भौतिक सामग्री (आपराधिक प्रादर्शों) का विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की परीक्षण रिपोर्ट अपराध में संदिग्ध व्यक्ति की लिप्तता स्थापित करने हेतु साक्ष्य के रूप में मान्य है। 'एक्सपर्ट ओपिनियन' के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली ये रिपोर्ट निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जारी की जाती है।

प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले प्रकरण आईपीसी, सीआरपीसी, पोक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, आई.टी. एक्ट, महिला अशिष्ट निरूपण एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, कॉपीराईट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, आरपीजीओ एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, गोवंश संरक्षण एक्ट से सम्बन्धित होते है। फोरेंसिक रिपोर्ट मुख्यत: राज्य की पुलिस एवं न्यायालयों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सी.बी.आई., प्रवर्तन निदेशालय, रेवन्यू इन्टेलीजेंस, राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नारकोटिक्स, रसद, आबकारी, रेल्वेज, कस्टम, आयकर, वन, सैन्य विभाग, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों को भी रिपोर्ट दी जा रही है।

प्रयोगशाला में जाँच हेतु विभिन्न प्राधिकृत सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले अपराध प्रादर्शों के परीक्षण के अतिरिक्त अन्वेषक संस्थाओं को अन्वेषण की दिशा तय करने के लिए घटना स्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य सामग्री के चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण में वैज्ञानिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे अपराध के घटित होने, घटना का समय काल, तरीका एवं अपराधी तक पहुचने में मदद मिलती है।

जटिल अपराधों की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रकरण विशेष की आवश्यकतानुसार शोध एवं विकास कार्य भी किये जाते हैं। ये शोध एवं विकास कार्य विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में जारी शोध कार्यों की अपेक्षा विशिष्ट एवं भिन्न होते हैं।

संगठनात्मक ढांचा (तकनीकी)

राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय का संगठनात्मक स्वरूप

स्वीकृत,कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (दिनांक 01-01-2017 की स्थिति में)

राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय की मुख्य प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एवम् जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स के लिए स्वीकृत, वर्तमान नफरी और रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1	निदेशक	01	01	–
2	अतिरिक्त निदेशक	04	–	04
3	उप निदेशक	04	03	01
4	सहायक निदेशक	39	16	23
5	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	74	30	44
6	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	43	21	22
7	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	92	53	39
8	मैकेनिक	01	01	–
9	तकनीकी सहायक	01	–	01
10	प्रयोगशाला सहायक	76	30	46
11	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	73	45	28
	कुल योग	408	200	208

मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1	लेखाधिकारी	01	01	–
2	सहायक लेखाधिकारी	01	01	–
3	कनिष्ठ लेखाकार	06	03	03
4	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	01	01	–
5	सहायक कार्यालय अधीक्षक	04	05	एक अतिरिक्त
6	निजी सहायक	01	–	01
7	शीघ्रलिपिक	02	01	01
8	लिपिक ग्रेड– I	08	08	–
9	लिपिक ग्रेड–II	16	14	02
10	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	28	19	09
11	प्रयोगशाला कर्मचारी	10	–	10
12	कारपेन्टर	01	–	01
13	कानि. ड्राईवर	14	13	01
14	चालक	03	–	03
	कुल योग	96	66	30

कैडरवाईज स्थिति

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1	तकनीकी अधिकारी	122	50	72
2	तकनीकी कर्मचारी	286	150	136
3	लेखा सेवा, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कानि. ड्राईवर	96	66	30
	कुल योग	504	266	238

नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि

(अ) वर्ष 2016-17 बजट आवंटन एवं व्यय (आयोजना भिन्न राशि रुपए लाखों में)

क्र.सं.	शीर्षक	आवंटन	व्यय	शेष राशि
1.	संवेतन	1540.00	1079.13	460.87
2.	यात्रा व्यय	7.00	6.45	0.55
3.	चिकित्सा व्यय	6.00	1.40	4.60
4.	कार्यालय व्यय	55.00	43.55	11.45
5.	वाहनों का संधारण (पेट्रोल/डीजल व्यय)	18.00	11.90	6.10
6.	मशीनरी एवं उपकरण व्यय	237.00	62.73	174.27
7.	किराया रॉयल्टी व्यय	9.50	5.68	3.82
8.	वर्दी	1.00	0.23	0.77
9.	संविदा व्यय	48.20	27.49	20.71
10.	मरम्मत एवं अनुरक्षण	40.00	20.64	19.36
11.	मशीनरी,उपकरण औजार इत्यादि(आधुनिकीकरण)	149.99	00.00	149.99
	योग (आयोजना भिन्न)	2111.69	1259.20	852.49

(ब) वर्ष 2016-17 आयोजना मद (राशि रुपये लाखों में)

क्र.सं.	मद का नाम	आवंटित राशि	व्यय की राशि माह दिसम्बर, 2016 तक	शेष राशि
1	बृहद निर्माण–अजमेर तथा बीकानेर, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भवन का निर्माण	1000.00	263.53	736.47

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : चरणबद्ध विकास

1. वर्ष 1959 में राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना गृह विभाग के आदेशों से पुलिस मुख्यालय में प्रलेख एवं फोटो खण्ड से आरम्भ हुई। 1967 में रसायन, 1970 में जैविक एवं 1973 में भौतिक खण्ड प्रारम्भ हुआ।
2. वर्ष 1970 में प्रयोगशाला में प्रथम तकनीकी निदेशक की नियुक्ति की गई।
3. वर्ष 1974 में प्रयोगशाला भवन का राजस्थान पुलिस अकादमी के समीप नेहरू नगर में पृथक प्रांगण में निर्माण करा प्रयोगशाला उसमें स्थानांतरित की गई।
4. वर्ष 1974 में अस्त्रक्षेप, 1983 में विष एवं 1984 में सीरम खण्डों में परीक्षण आरंभ किया गया।
5. वर्ष 1992 में नारकोटिक्स, आर्सन एण्ड एक्सप्लोसिव तथा लाईडिटेक्शन खण्डों के स्वीकृति आदेश जारी।
6. वर्ष 1995 में जोधपुर एवं उदयपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्वीकृत एवं 1997 से इनमें परीक्षण कार्य आरंभ।
7. वर्ष 1998 में जोधपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास एवं निर्माण आरंभ।
8. वर्ष 2004 में डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग भवन का निर्माण प्रारंभ, कम्प्यूटर लैब एवं वन्यजीव फोरेंसिक के लिए भवन निर्माण, उदयपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण एवं शासन द्वारा 30 जिला चल इकाइयों की स्वीकृति।
9. वर्ष 2005 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भवन का निर्माण, जयपुर स्थित भौतिक खण्ड में कम्प्यूटर फोरेंसिक, ऑडियो वीडियो ऑथेंटिकेशन एवं साईबर फोरेंसिक तकनीक का समावेश।
10. वर्ष 2006 में उदयपुर प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण, 16 जिला चल इकाइयों की स्थापना, डी.एन.ए. एवं साईबर फोरेंसिक लैब के लिए पृथक स्टाफ स्वीकृत।
11. वर्ष 2007 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला में आंशिक स्टाफ स्वीकृति पश्चात कार्य आरंभ, 14 जिला मोबाईल यूनिट्स की स्थापना, 7 चल इकाईयों के भवन का निर्माण प्रारंभ।
12. वर्ष 2008 में डी.एन.ए. पृथक्करण का कार्य आरंभ हुआ। बीकानेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला के लिए आंशिक स्टाफ स्वीकृत। 4 जिला मोबाईल यूनिट का स्टाफ स्वीकृत एवं वर्ष 2009 से कार्य आरंभ।
13. वर्ष 2010 : जयपुर में डी.एन.ए. परीक्षण हेतु अन्य आवश्यक उपकरण स्थापित।
14. वर्ष 2011 : अजमेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रथम चरण के स्वीकृति आदेश जारी।
15. वर्ष 2013 में साईबर फोरेन्सिक खण्ड, जयपुर के सहायक निदेशक का पद स्वीकृत हुआ।
16. वर्ष 2013 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में रसायन खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
17. वर्ष 2014 : क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर में विष, जैविक एवं सीरम खण्ड तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में विष खण्ड ने कार्य करना प्रारंभ किया।
18. वर्ष 2015 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के भवन के भूतल का निर्माण किया गया।
19. वर्ष 2015 में भरतपुर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, जैविक, सीरम तथा विष खण्ड प्रारम्भ एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जैविक खण्ड आरम्भ हुआ।
20. वर्ष 2016 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर तथा बीकानेर में क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भूतल भवन का निर्माण किया गया।
21. वर्ष 2016 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे पॉलीग्राफ सेंटर स्थापित किया गया है।
22. वर्ष 2016 में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुविधाओं का विस्तार कर प्रशिक्षण कार्य योजना तैयार की गयी।

प्रकरण सांख्यिकी (Case Statistics)

Directorate of Forensic Science Laboratory Rajasthan

Case Statistics from 01-01-2016 to 31-12-2016

(i) Statement showing Year–wise position of Received, Disposal and Pending Cases

S. NO.	YEAR	PENDANCY AS ON 1ST JANUARY	RECEIVED CASES DURING THE YEAR	TOTAL N0. OF CASES	EXAMINED CASES DURING THE YEAR	PENDANCY AS ON 31ST DECEMBER
1	2011	13835	24229	38064	23010	15054
2	2012	15054	25565	40619	26847	13772
3	2013	13772	25991	39763	26856	12907
4	2014	12907	27615	40522	27776	12746
5	2015	12746	31346	44092	33252	10840
6	2016	10840	34340	45180	38578	6602

(ii) Statement showing position of Received, Disposal and Pending Cases for SFSL and RFSLs.

S. NO.	Forensic Science Laboratories	PENDING CASES ON 01-01-2016	RECEIVED CASES	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2016
					CASES	EXHIBITS	
1.	State FSL Jaipur	4384	15412	19796	17639	111601	2157
2.	Regional FSL Jodhpur	564	5274	5838	5237	33043	601
3.	Regional FSL Udaipur	1627	5160	6787	5763	30074	1024
4.	Regional FSL Kota	2145	2020	4165	2983	16763	1182
5.	Regional FSL Bikaner	1141	2152	3293	2269	14546	1024
6.	Regional FSL Ajmer	757	2928	3685	3205	9568	480
7.	Regional FSL Bharatpur	222	1394	1616	1482	9260	134
	Grand Total :	**10840**	**34340**	**45180**	**38578**	**224855**	**6602**

(iii) Total number of Crime Scenes visited in the Rajasthan:- 1158

(iv) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of State Forensic Science Laboratory, Jaipur:-

S. NO.	DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2016	RECEIVED CASES in 2016	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2016
					CASES	EXHIBITS	
1-	Document Division	211	586	797	691	47812	106
2-	Chemistry Division	32	7356	7388	7254	9141	134
3-	Arson & Explosive	276	292	568	355	818	213
4-	Narcotics Division	267	1230	1497	1178	2701	319
5-	Biology Division	1748	1191	2939	2829	20580	110*
6-	Physics Division	269	527	796	681	3456	115
7-	Ballistics Division	60	228	288	177	1135	111
8-	Toxicology Division	620	1787	2407	1792	11155	615
9-	Serology Division	838	2058	2896	2571	14436	325
10-	DNA Division	63	157	220	111	367	109
	Total	**4384**	**15412**	**19796**	**17639**	**111601**	**2157**
	Photo Section :	27	1163	1190	1106	Snap-22657	84
						Print- 13854	

* शीघ्र निस्तारण हेतु 220 प्रकरण जैविक खण्ड, क्षे.वि.वि. प्रयोगशाला बीकानेर से मुख्य प्रयोगशाला जयपुर मंगवाया गया। जिनमें से 110 प्रकरण लम्बित है।

(iv) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of Regional Forensic Science Laboratory Jodhpur, Udaipur, Kota, Bikaner, Ajmer & Bharatpur

S. NO.	DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2016	CASES RECEIVED in 2016	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2016
					CASES	EXHIBITS	
	REGIONAL FSL, JODHPUR						
1.	Documents Division	93	416	509	419	19585	90
2.	Chemistry Division	350	3967	4317	3956	6788	361
3	Serology Division	0	217	217	185	1228	32
4.	Toxicology Division	121	674	795	677	5442	118
	Total	**564**	**5274**	**5838**	**5237**	**33043**	**601**
	REGIONAL FSL, UDAIPUR						
1.	Chemistry Division	208	3137	3345	3277	6296	68
2.	Toxicology Division	774	612	1386	1142	6691	244
3.	Serology Division	326	569	895	400	2465	495
4.	Documents Division	40	117	157	157	9929	Nil
5.	Biology Division	279	725	1004	787	4693	217
	Total	**1627**	**5160**	**6787**	**5763**	**30074**	**1024**
	REGIONAL FSL, KOTA						
1	Biology Division	312	463	775	597	4337	178
2	Physics Division	3	93	96	70	199	26
3	Toxicology Division	1185	802	1987	1593	8092	394
4	Serology Division	645	662	1307	723	4135	584
	Total	**2145**	**2020**	**4165**	**2983**	**16763**	**1182**
	REGIONAL FSL, BIKANER						
1	Biology Division	543	771	1314	901	5340	413
2	Physics Division	12	149	161	132	371	29
3	Ballistic Division	6	69	75	55	810	20
4	Toxicology Division	469	523	992	552	3697	440
5	Serology Division	111	640	751	629	4328	122
	Total	**1141**	**2152**	**3293**	**2269**	**14546**	**1024**
	REGIONAL FSL, AJMER						
1-	Chemistry Division (Liquor cases)	250	2036	2286	2250	3984	36
2.	Toxicology Division	507	892	1399	955	5584	444
	Total	**757**	**2928**	**3685**	**3205**	**9568**	**480**
	REGIONAL FSL, BHARATPUR						
1	Biology Division	219	499	718	603	4236	115
2	Serology Division	0	534	534	534	3076	Nil
3	Physics Division	1	75	76	74	273	2
4	Toxicology Division	2	286	288	271	1675	17
	Total	**222**	**1394**	**1616**	**1482**	**9260**	**134**

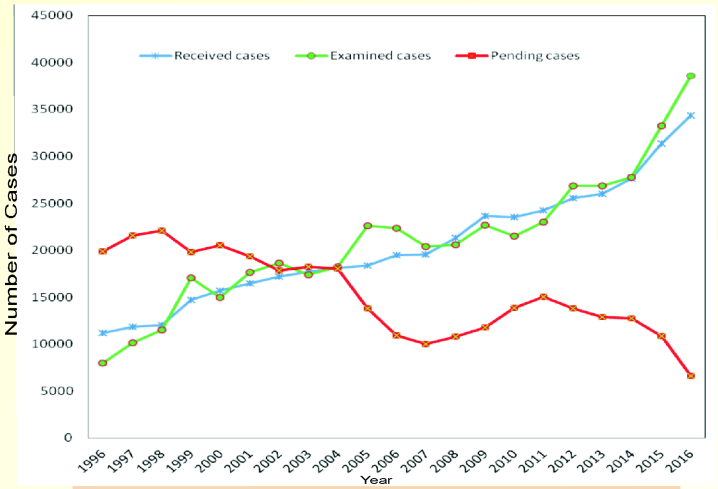

FSL Case Statistics: Incoming, Examined and Pending Cases during Last 21 years

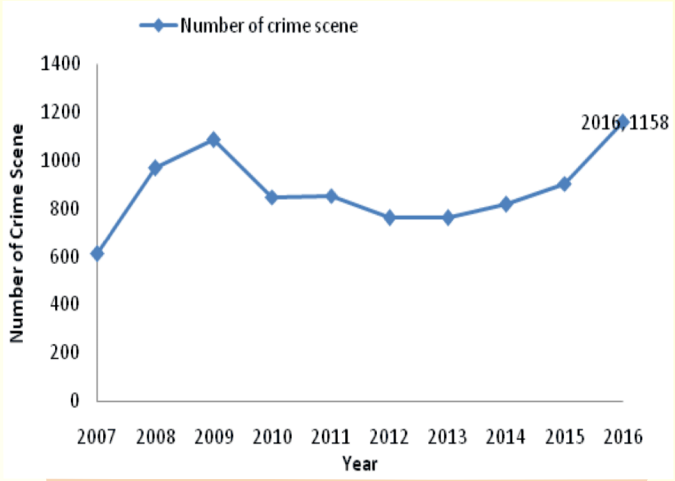

FSL Crime Scene Statistics: Number of crime scene cases during last 10 years

वर्ष 2016 में स्थापित महत्त्वपूर्ण उपकरणों की सूची

जैविक प्रादर्शों के संरक्षण हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये सुओ मोटो के अन्तर्गत मुख्य प्रयोगशाला जयपुर एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में क्रय व स्थापित किये गये उपकरणों की सूची :–

S.No.	Name of Items	Quantity
1	UPS (1Kva-16, 3 Kva-1, 10 Kva-2)	19
2	Refrigerator	19
3	Chiller	2
4	Cold Room	3
5	Deep Freezer	2
6	Air Conditioner	54
7	DG Set	4

मुख्य प्रयोगशाला जयपुर में रिपेयर/अपग्रेड उपकरणों की सूची :–

S.No.	Name of Items
1	MIR Source
2	Olympus Microscope
3	PCR Machine-7500
4	Microscope Lens
5	Gene Sequencer
6	Camera
7	Mobile Forensic S/W XRY upgradation for 1 year
8	Computer Forensic S/W FTK International upgradation for 1 year

एफ.एस.एल. में परीक्षण किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

जैविक एवं डी.एन.ए. प्रकरण

1. ट्रान्सपोर्ट नगर थाना अन्तर्गत अबोध बच्ची के दुष्कर्मी की फोरेंसिक साक्ष्य से पहचान

अप. संख्या–160/16, धारा–363, 365, 376(2)(आई) (एम) भा.द.सं. व 3/4 पोक्सो एक्ट 2012, थाना– ट्रान्सपोर्ट नगर, जिला–जयपुर शहर पूर्व के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 11.06.2006 को रात्रि में गुरूद्वारा सेवादार की लगभग 3 वर्षीय अबोध बच्ची को सेठी कालोनी स्थित गुरूद्वारा से एक आटो रिक्शा चालक द्वारा ले जाकर कुकर्म करके जयपुर–आगरा हाइवे पर फेंक दिया गया था। इस बहुचर्चित दर्दनाक प्रकरण में पीड़िता के फ्राक व आरोपी के अण्डरवियर तथा पीड़िता की चिकित्सकीय जाँच के दौरान लिए गये वेजाईनल स्मियर व स्वाब में प्राथमिकता पर परीक्षण कर मानव वीर्य की उपस्थिति व डीएनए परीक्षण से अपराधी की पहचान सुनिश्चित की जाकर न्यायालय को ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराई गयी।

2. मोती डूँगरी थाना अन्तर्गत अबोध बच्ची के दुष्कर्मी की फोरेंसिक साक्ष्य से पहचान

अप. संख्या–146/16, धारा–363,365,376 (आई) (एम) भा.द.सं. व 3/4 पोक्सो एक्ट 2012, थाना– मोती डूँगरी, जिला–जयपुर शहर पूर्व से सम्बन्धित प्रकरण में राजधानी की बेहद संवेदनशील बहुचर्चित जघन्य घटना जिसमें दिनांक 18.06.2016 को रात्रि पौने नौ बजे 3 वर्षीय अबोध मासूम बच्ची को महावीर विकलांग समिति कार्यालय, एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर के परिसर से अगवाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के पश्चात लहूलुहान दशा में धनवन्तरी अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग, एसएमएस के गेट नं.4 के पास बेहोश मिली थी। इस प्रकरण में पीड़िता के नेकर व टी– शर्ट में रक्त की अधिकता होने के कारण विशेष प्रयास कर मानव वीर्य की उपस्थिति खोजी गई व डीएनए परीक्षण से आरोपी की पहचान सुनिश्चित की जाकर न्यायालय को ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराई गयी।

3. दुष्कर्म व हत्या के प्रकरण में आरोपी की पहचान

अप. संख्या–187/15, धारा–147,148,363, 376, 302, (आई) (एम) भा.द.सं. व 3/4 पोक्सो एक्ट 2012, थाना– नरैना, जिला–जयपुर ग्रामीण के अन्तर्गत तथाकथित सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के इस प्रकरण में मृतका व आरोपी के प्राप्त प्रादर्शों का डीएनए मिलान किया गया। जिसमें एक ही व्यक्ति के डीएनए से मिलान हुआ जबकि अन्य से मिलान नहीं हुआ। इस प्रकार डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग तकनीक द्वारा घटना में शामिल दोषी के विरूद्ध न्यायालय को ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराया गया।

4. बहुचर्चित दुर्घटना के प्रकरण में आरोपी की पहचान

अप. संख्या–234/16, धारा–304 भा.द.सं., थाना– अशोक नगर, जिला–जयपुर दक्षिण के इस बहुचर्चित प्रकरण में बी.एम.डब्लू. कार व आटो में टक्कर होने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। प्रकरण में कार से प्राप्त रक्त का डीएनए परीक्षण किया जाकर आरोपी व कार चालक व्यक्ति की पहचान की गयी व न्यायालय को ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराये गये।

5. बहुचर्चित दुर्घटना के प्रकरण में आरोपी की पहचान

मर्ग संख्या–19/16, धारा–176 सी.आर.पी.सी., थाना– शिवदासपुरा, जिला–जयपुर ग्रामीण के इस बहुचर्चित प्रकरण में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में फाँसी लगाकर शौचालय के अन्दर मृत पाया था। फाँसी हेतु तौलिया का इस्तेमाल किया गया था। मृतक के रिश्तेदारों ने तौलिया को मृतक का होने से इंकार किया। प्रकरण का मजिस्ट्रेट जाँच हुई, जिसमें मृतक के कपड़े व तौलिया एफएसएल में जाँच हेतु प्राप्त हुआ। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जाँच में एक ही व्यक्ति के शारीरिक द्रव्य पाये गये।

6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पर्यावरणीय जल प्रदूषण सम्बन्धी सामाजिक समस्या के मामले में एफ.एस.एल. का योगदान

डी.बी. सिविल रिट पीटिशन नं. 752/2016 सुओ मोटो बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में जोधपुर शहर में फतेह सागर तालाब के धरोहर महत्त्व व जल की गुणवता को नष्ट होते देख माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने इसकी सफाई व विरासत मूल्य को पुन: स्थापित करने हेतु अत्यन्त गंभीरता से प्रसंज्ञान (सूओ मोटो) के अन्तर्गत अभूतपूर्व पहल कर सीधे एफएसएल को तालाब के पानी की गुणात्मक जाँच एवं इसमें सीवेज की उपस्थिति बाबत् जाँच रिपोर्ट देने हेतु आदेशित किया।

उक्त आदेश की अनुपालना में एफ.एस.एल. ने तालाब के पानी की गुणात्मक जाँच भारतीय मानक के अनुसार जैविक (फाइटोप्लैंक्टानिक व माइक्रोबायोलॉजिकल), भौतिक व रासायनिक पैरामीटर का अध्ययन कर जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किया। एफ.एस.एल जाँच रिपोर्ट को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा काफी महत्त्व दिया गया व प्रशासन को तालाब की पूर्ण सफाई का आदेश दिया। एफ.एस.एल. का यह विशिष्ट कार्य रूटीन आपराधिक परीक्षण से हटकर ऐतिहासिक धरोहर की संरक्षा हेतु था जो तालाब को प्रदूषण मुक्त करने में व इसकी पारिस्थितिकी तंत्र बचाने में न्याय पालिका व स्थानीय प्रशासन को मार्गदर्शन व सहायता किया।

साईबर फोरेंसिक प्रकरण

1. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडे प्रकरण में गोपनीय दस्तावेज तथा इंटरनेट आर्टीफैक्ट सम्बन्धित साक्ष्य उपलब्ध कराया गया

सी.आई.डी द्वारा धारा 3, 3/9 शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अन्तर्गत जब्त सी.पी.यू. से भारतीय सेना से संबंधित गोपनीय सूचनाओं तथा सम्बंधित ईमेल के एविडेन्स खोजकर रिपोर्ट उपलब्ध करवायी गयी जिससे अनुसंधान में महत्वपूर्ण दिशा दी गयी।

2. दहशत फैलाने के प्रकरण में धमकी भरे ई-मेल करने वाले आरोपी से डिजिटल साक्ष्य रिकवरी

सी.आई.डी. (एस.ओ.जी) जयपुर द्वारा धारा 506 आई. पी.सी.तथा 66 ए आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोपी से जब्त कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क से राजस्थान सरकार के माननीय मंत्रीगणों को भेजे गये आतंकवादी संगठन इन्डियन मुजाहिदीन के नाम से किये गये ईमेल से संबंधित साक्ष्य रिट्राईव कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गयी।

3. डिलीटेड एस.एम.एस. मैसेज की डिजिटल साक्ष्य से वन्य जीव तस्करों के गिरोह का खुलासा

जी.आर.पी. जयपुर द्वारा धारा 379, 429, 420, 120 बी, आई.पी.सी.एवं 9, 51, 44, 48, 58 वन्य जीव अधिनियम, 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दुर्लभ गैंडे के सींग एवं वन्य जीव अंग तस्करों से जब्त मोबाईल फोनों से डिलीटेड एस.एम.एस. मैसेज की रिकवरी कर तस्कर गिरोह का खुलासा करने में अनुसंधान पक्ष को सहयोग कर अनुसंधान मे महत्वपूर्ण दिशा प्रदान कि गयी।

4. पी.ओ.एस. मशीनों (टिकट काउन्टर मशीन) की जाँच एवं परीक्षण से लाखों रूपये के राजस्व अनियमितता का खुलासा

थाना-लालकोठी जयपुर (पूर्व) द्वारा धारा-409, 120 बी आई.पी.सी., एवं 43/66 डी आई.टी. एक्ट अन्तर्गत पुरातत्व संग्रहालय विभाग राजस्थान जयपुर के राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय, अल्बर्ट हॉल एवं जन्तर मन्तर के टिकट काउन्टर पर लगी पी.ओ.एस. मशीनों द्वारा किये गये लाखों रूपये की राजस्व अनियमितता के प्रकरण में उक्त मशीनों की जाँच एवं परीक्षण कर अनुसंधान मे महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गयी।

5. फोटो-मॉर्फिंग प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों का खुलासा

थाना- बज्जू जिला-बीकानेर के अन्तर्गत धारा-292 आई.पी.सी. एवं 67 ए आई.टी. एक्ट एवं 4 महिला अशिष्ट निरुपण अधिनियम के फोटो-मॉर्फिंग प्रकरण में जब्त मोबाईल के मैमोरी कार्ड में फाईल में फोटो के साथ की गई छेड़छाड़ में प्रयुक्त फोटोशॉप सॉफ्टवेयर संबंधित तथ्य जुटाकर रिपोर्ट उपलब्ध करवायी गयी जिससे अनुसंधान मे महत्वपूर्ण दिशा दी गयी।

6. संवेदनशील, भ्रष्टाचार आदि प्रकरणों में डाटा रिकवरी एवं डाटा डिक्रिप्शन कर साक्ष्य उपलब्ध कराये

भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो तथा एस.ओ.जी. द्वारा विभिन्न हाईप्रोफाईल प्रकरणों में जब्त मोबाईल फोन आदि से डाटा रिकवर कर तथा विभिन्न सोशल साईट/ऐप में मैसेज आदि को डिक्रिप्ट कर त्वरित रिपोर्ट उपलब्ध करवायी गयी जिससे अनुसंधान मे महत्वपूर्ण दिशा दी गयी।

विष प्रकरण

1. अमेरिकन नागरिक की मृत्यु के कारण का खुलासा

मर्ग 01 दिनांक 13.01.2016, धारा 174 सी.आर.पी.सी. थाना सदर कोतवाली, जोधपुर पूर्व के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में होटल के कमरे में मृत पाए गए अमेरिकी नागरिक क्रीस्टोफर जे. हेनार्क की संदिग्ध मृत्यु के प्रकरण में विष परीक्षण में एल्कोहल (शराब) के साथ क्लोरल हाइड्रेट, एसजोपिकलोन, मॉर्फीन (स्मैक का मेटाबोलाइट) व केनाबिस की उपस्थिति पायी गयी। एफ.एस.एल. परीक्षण द्वारा विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के एक साथ सेवन करने से मृत्यु का कारण का खुलासा हुआ।

2. रासायनिक परीक्षण से मृत्यु का खुलासा

मर्ग 06 दिनांक 14.08.2016 धारा 174 सी.आर.पी.सी.,

थाना झंवर, जोधपुर पश्चिम के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में संभावित करन्ट लगने से हुई मृत्यु के प्रकरण में करन्ट लगने के स्थान की त्वचा के भाग में कॉपर आयन्स (तांबा) की उपस्थिति बताई गई, जिससे मृत्यु का कारण विद्युत आघात से सम्बन्धित साक्ष्य उपलब्ध कराया गया।

3. विसरा परीक्षण से हत्या का खुलासा

अप. संख्या–26 दिनांक 19.02.14 धारा 498ए, 304बी भा.द.सं., थाना साण्डेराव जिला पाली के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में दहेज हत्या के मामले को पूर्व में सड़क दुर्घटना से कारित मृत्यु बताया गया। जिसमें तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए चालक को दोषी मानकर न्यायालय में आरोप पत्र भी पेश कर दिया गया। इस प्रकरण में मृतका के विसरा परीक्षण में कीटनाशक की उपस्थिति होना पाई गई। जिसके आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमेरपुर, पाली द्वारा मामले की पुन: निष्पक्ष जांच कराने पर मामला सड़क दुर्घटना का ना होकर दहेज हत्या का होना प्रमाणित हुआ।

प्रलेख प्रकरण

1. विवादित फर्जी दस्तावेज की पुष्टि

अप. संख्या–153 दिनांक 30.03.2016 धारा 420, 467, 468, 471/34,120बी भा.द.सं. पुलिस थाना उदयमन्दिर के दस्तावेज पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पूर्व के द्वारा परीक्षण हेतु प्राप्त हुए। विवादित दस्तावेजों में आम मुख्त्यारनामा, बेचान इकरारनामा इत्यादि प्राप्त हुए थे। जिन पर नारायण सिंह, अमर सिंह व देवी सिंह के विवादित हस्ताक्षर मौजूद थे। प्रकरण में विवादित दस्तावेज ढाई करोड़ रूपये मूल्य की विवादित जमीन सौदे से संबंधित थे। प्रयोगशाला के प्रलेख अनुभाग द्वारा दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर होने के संबंधी परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिससे विवादित ढाई करोड़ रूपये मूल्य की जमीन के सौदे में तथा कथित फर्जीवाड़ा होने की पुष्टि हुई।

2. दस्तावेज में की गयी हेरफेर का खुलासा

अप. संख्या–112 दिनांक 25.02.2015 धारा 420, 467, 468, 471,120बी भा.द.सं. पुलिस थाना उदयमन्दिर के दस्तावेज पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पूर्व के द्वारा परीक्षण हेतु प्राप्त हुए। उक्त विवादित दस्तावेज सेना के रिटायर्ड कैप्टन की दो बीघा जमीन को फर्जीवाड़ा कर भू–माफियों द्वारा हड़पने संबंधी शिकायत पर परीक्षण चाहा गया था। एफ.एस.एल. जाँच में यह तथ्य उजागर किया गया कि भूमि के बेचान संबंधी दस्तावेजों की टाईपराईटिंग व लिखावट में काट–छांटकर भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए। प्रयोगशाला के उन्नत तकनीकी परीक्षण से प्रमाणित किया गया कि विवादित दस्तावेज में कहां–कहां काट–छांट की गई है तथा काट–छांट से पूर्व असल दस्तावेज में क्या लिखा हुआ था। उपरोक्त परीक्षण रिपोर्ट द्वारा ही दस्तावेजों का फर्जी होना प्रमाणित हुआ। इसके अतिरिक्त दस्तावेजों पर विवादित हस्ताक्षर भी एफ.एस.एल. जाँच में फर्जी पाए गए। प्रकरण में फर्जीवाड़ा प्रमाणित होने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर द्वारा आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए थे।

घटना स्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

1. संदिग्ध मृत्यु का खुलासा

अप. संख्या– 379/16, दिनांक– 27.07.16, धारा– 302,34 आई.पी.सी., पुलिस थाना– बस्सी, जिला– जयपुर से सम्बन्धित प्रकरण में पूर्व पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा बताया गया कि श्रीमती मोतीदेवी पुत्री श्री नाथूलाल उम्र 40 वर्ष की देवापुरा–

राजपुरा उत्सा (सी.सी.) सडक पर लाश पायी गयी थी, परिजनों का आरोप है कि युवती की ससुराल पक्ष द्वारा हत्या कर लाश सड़क पर डाली गयी है।

जिला मोबाईल फोरेन्सिक टीम जयपुर शहर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर राजपुरा–देवापुरा कंकरीट रोड पर दोपहिया वाहन के टायर निशान/रगड़ने के निशान, मानव रक्त एवं बाल, चूड़े इत्यादि पाये गये, साथ ही मोटरसाईकिल के निरीक्षण उपरान्त साक्ष्यों द्वारा पाया गया कि महिला सुबह अपने पुरूष मित्र के साथ ग्राम देवापुरा से राजपुरा की ओर गयी थी तथा पुन: लौटते वक्त सीमेन्ट कंकरीट रोड पर तीव्र गति से चल रही मोटरसाईकिल से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त महिला की मृत्यु हुई है।

2. नवजात बालिका की हत्या का खुलासा

अप. संख्या– 272/16, दिनांक– 26.08.16, धारा– 302 आई.पी.सी., पुलिस थाना– शास्त्री नगर, जिला– जयपुर उत्तर से

सम्बन्धित प्रकरण में पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्लॉट नं0 ए–19, सुभाष नगर, जयपुर के द्वितीय मंजिल पर हॉल में रखे ए.सी. केबिनेट में परिवार की लगभग 5 माह की बच्ची मृत पायी गयी थी, बच्ची को उसके परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाना बताया गया।

जिला फोरेन्सिक मोबाईल यूनिट जयपुर शहर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा पाया कि द्वितीय मंजिल के हॉल में ए.सी. केबिनेट के ऊपर रखे रूमाल, कुर्सी पर रखी रजाई तथा हॉल में ही रखी बाल्टी के ऊपर रखा पोंछा में रक्त की उपस्थिति तथा मृत बच्ची की माता के नाखून एवं उसके बेडरूम में स्थित बाथरूम की जाली में रक्त की उपस्थिति पायी गयी जिससे यह पाया गया कि बच्ची की उसकी माता द्वारा हत्या की गयी है। माता (महिला) वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

3. युवक की संदिग्ध मृत्यु का खुलासा

अप. संख्या– 611/16, दिनांक– 09.10.16, धारा– 302,201 आई.पी.सी., पुलिस थाना– बजाज नगर, जिला–

जयपुर पूर्व से सम्बन्धित प्रकरण में पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा बताया गया कि टोंक पुलिया के नीचे खादी ग्रामोद्योग की बाउण्डरी के पास एक मृत युवक तथा पास में हेलमेट, मोटरसाइकिल पायी गयी।

जिला फोरेन्सिक मोबाईल यूनिट जयपुर शहर के द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि मोटरसाईकिल पर कोई ताजा डेन्ट/स्क्रेच के निशान नहीं है। लाईट, इन्डीकेटर, हेलमेट सुरक्षित है। पक्की सड़क/मिट्टी पर ताजा रगड़/घिसने के निशान नहीं है। प्रथम दृष्टया में साक्ष्यों के अनुसार लगा कि हत्या कर युवक को डाला गया है। मृत युवक के मकान का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि मकान की सीढ़ियों, बेडरूम की दीवार,

फर्श एवं बाल्टी में मानव रक्त की उपस्थिति पायी गयी। युवक की पत्नी द्वारा उसके प्रेमी एवं उसके मित्र के साथ अपने पति की हत्या की गई। वर्तमान में तीनों न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. बालक की हत्या का खुलासा

अप. संख्या– 254/16, दिनांक– 26.10.16, धारा– 363 आई.पी.सी., पुलिस थाना– रेनवाल, जिला– जयपुर ग्रामीण के प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.10.16 को सहलदीपुरा नान्दरी से 3 वर्षीय बालक ललित कुमार के रात्रि से गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवायी है। दिनांक 29.10.16 को गांव के पास पक्के कुएं में बच्चे का शव पाया गया जिसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।

जिला फोरेन्सिक मोबाईल यूनिट जयपुर ग्रामीण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, कुएं का निरीक्षण कर पाया गया कि कुएं के पास दो छोटे–छोटे नीले रंग के रूई के फुए पाये गये तथा उसी प्रकार का रूई का फुआ मृत बालक के मकान के छप्पर में चारपाई के पास मिट्टी में पाया गया जो कि भौतिक लक्षणों में समान पाये गये। कुएं में बालक को डालना बच्चे की मां एवं चाचा द्वारा होना पाया गया।

5. हत्या व लूट का खुलासा

अप. संख्या– 249/16, धारा– 395,397, 452, 302 आई.पी.सी., पुलिस थाना– बिगोद, जिला– भीलवाड़ा से सम्बन्धित प्रकरण में दिनांक 15 सितम्बर 2016 को भीलवाड़ा जिले के बिगोद थाना अंतर्गत बड़लियास गांव के एक घर में वृद्ध दम्पत्ति की हत्या कर लूट की घटना का मौका निरीक्षण मोबाइल फोरेंसिक यूनिट भीलवाड़ा द्वारा किया गया। घटनास्थल निरीक्षण के दौरान फोरेंसिक यूनिट भीलवाड़ा को घटनास्थल पर शवों के निकट एक खूनआलूदा कागज, मृतक दम्पत्ति द्वारा पहने गये आभूषणों के टुकड़े, रसोई में ताजा बनी हुई चाय, लूट हेतु टूटे हुए बक्से तथा छत पर खून के निशान मिले। ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर

कागज पर एक व्यक्ति के नाम पर धन के उधार लेन–देन का हिसाब–किताब लिखा हुआ पाया गया। संभवत: कागज का उपयोग अपराधी द्वारा घटना के बाद रक्त साफ करने हेतु प्रयोग किया गया तथा छत के रास्ते का प्रयोग घटनास्थल से भागने हेतु किया गया। मृतक दम्पत्ति के पुत्र द्वारा घटनास्थल पर ही उक्त व्यक्ति को धन उधार देने की पुष्टि करने पर पुलिस द्वारा घटना के चंद घंटों में ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

6. संदिग्ध हत्यारे की पहचान

थाना–कोतवाली अलवर, जिला–अलवर मे दिनांक 30.10.2016 से दिनांक–03.11.2016 तक विभिन्न स्थानों पर महिला के शारीरिक अंग पाये गये। इस घटना से सम्बन्धित घटनास्थल का निरीक्षण करने पर मृतका के मकान से बरामद फ्रिज, आरी, चाकु, टी–शर्ट, बरमुडा, चप्पल जोड़ी तथा दुपहिया वाहन काइनेटिक लूना सूपर के धात्विक केरियर व बैग के परीक्षण के आधार पर मृतका के पति द्वारा हत्या करने की संभावना स्थापित की गई।

7. हिट एंड रन प्रकरण

अप. संख्या–234/16 दिनांक 02–07–16, धारा–304 आई.पी.सी., पुलिस थाना–अशोक नगर, जिला– जयपुर शहर (दक्षिण) से सम्बन्धित हिट एंड रन प्रकरण में एक बी.एम.डब्ल्यू. कार द्वारा ऑटो रिक्शा एवं पी.सी.आर वैन चेतक 22 (टवेरा वाहन) के टक्कर मारने से ऑटो रिक्शा में सवार तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी। सीसीटीवी में घटना के लगभग एक सेकण्ड के तीसरे हिस्से के फुटेज व घटनास्थल से लिये गये माप से गणना कर बी.एम.डब्ल्यू. कार की स्पीड 111 किमी प्रति घन्टा से 125 किमी प्रति घन्टा निर्धारित की गयी।

8. विद्युत करंट प्रकरण

अप. संख्या–277/16 दिनांक 13–05–16, धारा– 302, 201 आई.पी.सी व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट, पुलिस थाना–एन.ई.बी., जिला– अलवर में विद्युत करंट से हुई कारीगर की मृत्यु के प्रकरण में ग्रेनाईट पोलिश मशीन की जाँच कर मशीन का सही रख रखाव नहीं होने के कारण मशीन में विद्युत प्रवाह होना मृत्यु का कारण ज्ञात किया गया।

9. अधजली लाश से सम्बन्धित घटनास्थल पर फोरेंसिक योगदान

अप. संख्या– 674/16 धारा – 302, 176, 201 आई.पी.सी. थाना–नदबई, जिला–भरतपुर से सम्बन्धित प्रकरण दिनांक 16.10.2016 को गाँव करई थाना नदबई में एक व्यक्ति को मार कर जला देने से सम्बन्धित थी। अधजली चिता में से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण फोरेन्सिक साक्ष्यों का संकलन विधि पूर्वक कराया गया एवं हमला होने वाले स्थान का साक्ष्यों के आधार पर चिन्हित कराया गया तथा अधजले शव का निरीक्षण कर एक्स–रे करवाने की सलाह दी गई फोरेन्सिक टीम द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से अधजली लाश में आग्नेयास्त्र की गोली पायी गई।

10. खेत में मिली राख का फोरेन्सिक साक्ष्य का महत्व

अप. संख्या– 674/16 धारा – 302, 176, 201 आई.पी.सी. थाना – नदबई जिला – भरतपुर के अन्तर्गत दिनांक 21.10.2016 को गाँव कौरेर थाना डीग में एक व्यक्ति को खेत में जलाकर दाह संस्कार कर देने से सम्बन्धित थी। उक्त सूचना के अतिरिक्त पुलिस को घटना के सम्बन्ध में कोई अन्य जानकारी नही थी। पूर्णतया जली राख में से मानव अस्थियों के साक्ष्य व राख में से अज्ञात धातु के टुकड़े निकाले गये, जो कि प्रथम दृष्टया गोली के प्रतीत होते थे तत्पश्चात मृतक के घर (घटनास्थल) पर रक्त को धोकर साफ किया गया था पर अतिसूक्ष्म मात्रा में रक्त पाया गया। इस पर आस पास की जगहो पर फोरेन्सिक टीम द्वारा निरीक्षण किये जाने पर रक्त के साक्ष्य कई स्थानों पर पाये गये। दो दिन पश्चात मृतक के भाई द्वारा गोली मार कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

11. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश पर तीन साल पुराने प्रकरण में साक्ष्य ढूँढ़ निकालने में अनुसंधान में सहयोग

अप. संख्या–206/13 धारा – 302 आई.पी.सी. थाना – हलैना जिला – भरतपुर के प्रकरण में घटना तीन वर्ष पुरानी थाना हलैना में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत/हत्या से सम्बन्धित थी। घटना से सम्बन्धित वाहनों (मोटर साईकल व ट्रेक्टर) के मध्य टक्कर के कारण से मौत होकर एफ.आर. लगाये जाने के पश्चात परिवादी पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया। निरीक्षण करने पर दोनो वाहनो पर संगत ऊँचाई पर टक्कर के साक्ष्य पाये गये।

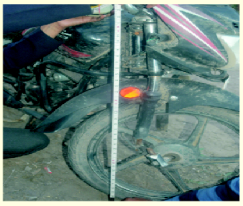

12. बच्चे के अपहरण व हत्या सम्बन्धित प्रकरण में साक्ष्य की खोज

अप. संख्या– 81/16 धारा – 302, 364 आई.पी.सी. थाना –सेवर, जिला – भरतपुर से सम्बन्धित घटना थाना सेवर में एक बच्चे को किडनैप कर हत्या करने से सम्बन्धित था। दो दिवस बाद मृतक बच्चे का अधजला शरीर घटना स्थल पर पड़ा मिला। अनुसधांन अधिकारी की जाँच दो बिन्दुओं पर आधारित थी कि मृतक को यही जलाया गया या कही ओर जलाया, कोई ज्वलनशील पदार्थ उपयोग में लिया गया या नहीं। घटना स्थल के निरीक्षण के पश्चात मृतक को उसी स्थान पर लाकर जलाने के साक्ष्य, एक खाली प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन व मृतक के शरीर के नीचे अधजली बोतल पायी गई।

अपराध घटनास्थल निरीक्षण हेतु आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित फोरेंसिक मोबाइल ईकाई द्वारा भौतिक साक्ष्य का परीक्षण

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स का पता व दूरभाष

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर	
निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नेहरु नगर, जयपुर – 302016	0141–2301584, 0141–2301859 (फैक्स) 9413385400 **E-mail : director.fsl@rajasthan.gov.in**
लोक सूचना अधिकारी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला उपनिदेशक (अपराध घटनास्थल)	0141–2301584, 9413385401
सतर्कता अधिकारी	0141–2301584
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर	
अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक हाउस, 8 मील चुंगी नाका, नागौर रोड, मण्डोर, जोधपुर।	0291–2577966 **E-mail : rfsl.jodhpur.fsl@rajasthan.gov.in**
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर	
अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक हाउस, चित्रकूट नगर, बुहाना बाईपास, उदयपुर	0294–2803007, 2803784 **E-mail : rfsl.udaipur.fsl@rajasthan.gov.in**
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा	
अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक हाउस, आर.ए.सी. ग्राउण्ड, रावतभाटा लिंक रोड, कोटा।	0744–2401644, 2400644 **E-mail : rfsl.kota.fsl@rajasthan.gov.in**
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर	
उप निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 110–117, ट्रांजिट हॉस्टल, जी.ए.डी. कॉलोनी, पवनपुरी, बीकानेर।	0151–2242873 **E-mail : rfsl.bikaner.fsl@rajasthan.gov.in**
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर	
सहायक निदेशक प्रभारी, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जनाना हास्पिटल के सामने, सीकर रोड, अजमेर।	**E-mail : rfsl.ajmer.fsl@rajasthan.gov.in**
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर	
अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 231, बापू नगर, भूरी सिंह व्यायामशाला के पास, भरतपुर	9414249466 **E-mail : rfsl.bharatpur.fsl@rajasthan.gov.in**

जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान

क्र0 सं0	जिला यूनिट	पदस्थापित अधिकारी/ कर्मचारी	पता एवं मोबाइल नम्बर
		जयपुर रेन्ज	
1	जयपुर (शहर)	श्री सुशील कुमार बनर्जी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री गिर्राज पाठक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री आकाश मित्तल, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit (Jaipur City) Forensic Campus, Nehru Nagar, Jaipur- 302016; 9413385402(M)
2	जयपुर (ग्रामीण)	श्री हरी सिंह सैनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री राकेश मोहन वर्मा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री पूरण मल शर्मा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit (Jaipur Rural) Forensic Campus, Nehru Nagar, Jaipur- 302016; 9413385403(M)
3	सीकर	श्री अनिल कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अतिरिक्त चार्ज) सुश्री गरिमा चौधरी, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit Guest House Building, Police Line, Sikar- 332 001, 9413385613 (M)
4	झुन्झुनू	श्री अनिल कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Jhunjhunu- 333 001 9413385618 (M)
5	दौसा	श्री मान सिंह मीणा प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Purani Nijamat, Lalsot Road, Dausa- 303 303 9413385612 (M)
6	अलवर	डॉ0 राहुल दीक्षित वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	Mobile Forensic Unit, Old Arawali Vihar, Near Police Station, Alwar- 301 001 9413385410 (M)
		अजमेर रेन्ज	
7	अजमेर	श्री संजय कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री आकाश राव, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Old RPSC Building, Ajmer- 305 001 9413385406 (M)
8	भीलवाड़ा	डॉ. पंकज पुरोहित, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, City Police Control Room, Bhilwara- 311 001, 9413385617 (M)
9	नागौर	श्री रामावतार प्रजापत, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Traffic Police Station Campus, New Control Room, Nagaur, 9462815151 (M)
10	टोंक	श्रीमती नीलम जैन, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री विनोद कुमार प्रजापत, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, 38, Police Line, Tonk- 304 001 7737805061 (M)
		उदयपुर रेन्ज	
11	उदयपुर	श्री अभय प्रताप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री अशोक कुमार, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Forensic House, Chitrakoot Nagar, Buhana Byepass, Udaipur- 313 001, 9413385404 (M)
12	चित्तौडगढ़	डॉ. पंकज पुरोहित, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, Police Line, Chittorgarh 9413385617 (M)
13	बाँसवाड़ा	श्री बलवन्त सिंह खज्जा, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Station Kotwali, Banswara. 9413384164 (M)
14	डूँगरपुर	श्री बलवन्त सिंह खज्जा, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit Quarter No. 111-8, Sabela Scheme, Dungarpur. 9413384164, 9413384153 (M)
15	राजसमंद	श्री अभय प्रताप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, R.K. Govt. Hospital, Rajsamand 9413552751 (M)
16	प्रतापगढ़	श्री बलवन्त सिंह खज्जा, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, Ist Floor, Office of Dy.SP. Pratapgarh. 9413384164 (M)

		कोटा रेन्ज	
17	कोटा सिटी / ग्रामीण	श्री अजय सिंह गोहिल, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Forensic House, Rawatbhata Link Road, Kota- 324 009, 9413284619 (M)
18	झालावाड़	श्री कमलेश कुमार पंकज, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक सुश्री अल्का चायल, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Jhalawar. 9413384162 (M)
19	बूँदी	श्री शम्भू दयाल मालव, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Bundi. 9571806761 (M)
20	बाँरा	श्री कमलेश कुमार पंकज, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, Police Line, Baran. 9785033805 (M)
		बीकानेर रेन्ज	
21	बीकानेर	डॉ0 राजकुमार मेहता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री कृष्ण कुमार गुगड़, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, 108, Transit Hostel, GAD Colony, Pawanpuri, Bikaner- 334 003, 9413385409 (M)
22	चूरू	श्री अरविन्द कुमार, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Churu -331 001 8952099997 (M)
23	श्रीगंगानगर	श्री सुरेन्द्र कुमार जांगिड़, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री लोकेश कुमार, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Opp. Chief Medical and Health Office, Old Hospital, Railway Station Road, Sriganganagar- 335 001, 9413385615 (M)
24	हनुमानगढ़	श्री सुरेन्द्र कुमार जांगिड़, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज) सुश्री अम्बिका, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Hanumangarh. 9269305475 (M)
		जोधपुर रेन्ज	
25	जोधपुर सिटी / ग्रामीण	डा0 संजय जैन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	Mobile Forensic Unit, Forensic House, 8 Mile Chungi Naka, Nagaur Road, Mandor, Jodhpur. 9414295005(M)
26	पाली	श्री भंवर सिंह भाटी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	Mobile Forensic Unit, Police Line, Pali. 9460249464(M)
27	जालौर	डा0 संजय जैन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, Police Line, Jalore. 9414295005(M)
28	जैसलमेर	श्री प्रदीप बोहरा वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, Police Line, Jaisalmer- 345 001 9413384156(M)
29	सिरोही	श्री भंवर सिंह भाटी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, 84/III/37 GAD Colony, Near RTO Office, Sirohi. 9460249464(M)
30	बाड़मेर	श्री प्रदीप बोहरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Barmer. 9413384156(M)
		भरतपुर रेन्ज	
31	भरतपुर	डा0 मुकेश शर्मा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	Mobile Forensic Unit, Traffice Police Building, Traffic Chauraha, Bharatpur- 321 008 9460986307 (M)
32	सवाईमाधोपुर	श्री सुनील कुमार सिंघल, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Polytechnic College Road, Near Rajpootana Bio Tech. Pvt. Ltd., Teengal , Sawai Madhopur- 322 001. 9413384155(M)
33	धौलपुर	श्री अविनेश कुमार मदेरणा, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Old S.P. Office (Court Campus) Dholpur. 9667066967 (M)
34	करौली	श्री अरूण कुमार चतुर्वेदी, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Kotwali Campus, Karauli. 9460762379(M)

वर्ष 2016 की उपलब्धियाँ

1. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वर्षों से लम्बित प्रकरणों व रिपोर्ट प्रेषित करने में विलम्ब के कारणों से राज्य सरकार व माननीय उच्च न्यायालय दोनो विक्षुब्ध थे। अत: एक विशेष अभियान चला कर समस्त पुराने लम्बित प्रकरणों का जो वर्ष 2015 तक प्राप्त हुए थे, का निस्तारण कर दिया है। वर्ष 2016 में एफ.एस.एल. के इतिहास में अब तक के रिकार्ड 38578 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। प्रयोगशाला में वर्ष 2016 के आरम्भ में लम्बित प्रकरणों की संख्या 10840 से रिकार्ड 39 प्रतिशत घट कर मात्र 6602 प्रकरण ही रह गई है।
2. हत्या, दुष्कर्म व अन्य हिंसक अपराधों में अकाट्य साक्ष्य डी.एन.ए. के परीक्षण के लिए राजस्थान पुलिस से प्राप्त किये जाने वाला शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
3. जैविक प्रादर्शों के संरक्षण के लिये प्रयोगशाला में सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
4. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों का प्राथमिकता पर परीक्षण कर निस्तारण किया जा रहा है। जिसके लिए प्रयोगशाला की तकनीकी परीक्षण सुविधाओं का विस्तार किया गया।
5. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु मुख्य प्रयोगशाला जयपुर के अतिरिक्त जोधपुर तथा बीकानेर रेंज के विवादग्रस्त प्रलेख का परीक्षण प्रलेख खण्ड व ट्रैप प्रकरणों का परीक्षण रसायन खण्ड, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में 01-03-2016 से प्रारम्भ किया गया। इसी क्रम में 15.02.2016 से क्षेत्रीय प्रयोगशाला उदयपुर में ट्रैप प्रकरणों का परीक्षण कार्य रसायन खण्ड में आरम्भ किया गया।
6. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में पॉलीग्राफ सेंटर स्थापित कर लिया गया है।
7. बीकानेर एवं अजमेर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशिष्ट डिजाईन के भवनों का निर्माण चरणबद्ध रूप से करवाया जा रहा है।
8. अपराध प्रादर्शों की समुचित जाँच सुविधा के आधुनिकीकरण के क्रम में संवेदनशील उपकरणों से आधुनिकीकरण किया गया है।
9. प्रयोगशाला द्वारा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का आर.टी.पी.पी. एक्ट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव वित्त विभाग से अनुमोदित कराया जाकर, आधुनिक उपकरणों का विदेश से आयात किया जाना सुगम किया गया है।
10. फोरेंसिक ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुविधाओं का विस्तार कर प्रशिक्षण कार्य योजना तैयार की गयी।

निर्माण स्थल पर आरएफएसएल बीकानेर भवन का निर्माण प्रगति का आंकलन करते हुए निदेशक एफएसएल

निर्माण स्थल पर आरएफएसएल अजमेर भवन की डिजाइन पर चर्चा करते हुये निदेशक एफएसएल

भविष्य की योजना

1- मुख्य प्रयोगशाला जयपुर में 'एडवांस्ड सेन्टर फॉर साईबर फोरेंसिक्स' की स्थापना।

2- राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नेटवर्क, कम्प्यूटर आदि आई.टी.उपकरणों को नये आई.टी.उपकरणों से प्रतिस्थापित करवाया जाना।

3- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा में नये नारकॉटिक खण्ड एवं अजमेर में नये जैविक खण्ड की स्थापना।

4- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में जैविक खण्ड एवं अजमेर में सीरम खण्ड आरम्भ किया जाना है।

5- मुख्य प्रयोगशाला जयपुर में फोरेन्सिक ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट का संचालन कार्य आरम्भ करना।

6- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर के लिए भूमि प्राप्ति एवं भवन निर्माण कार्य।

7- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में भी डी.एन.ए. परीक्षण सुविधा आरम्भ की जानी है।

8- राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के पांच दशक पुराने कैडर का पुनर्गठन किया जाना है।